97/16

तारीख हुक्म	88, 89, 53. R.T. Act हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/2/20	पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक उपस्थित। वादी अभिभाषक को अवगत कराया कि उनके द्वारा प्रतिवादी की तलबी हेतु तलवाना सम्मन पेश नहीं किये जाने से प्रकरण कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा रही है। अतः वादी अभिभाषक आगामी पेशी अथवा उससे पूर्व सम्बन्धित पक्षकारान की तलबी हेतु तलवाना सम्मन भरकर न्यायालय में पेश करें। आगामी पेशी तक तलवाना सम्मन पेश नहीं करने पर माना जायेगा कि आप प्रतिवादी की तलबी नहीं करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में आपका प्रकरण अदम तकमील में खारिज कर दिया जायेगा। अतः वास्ते तलबी, पत्रावली आगामी पेशी 17/2/20 को पेश हो।	
17/2/20	पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अभिभाषक द्वारा अभी तक सम्मन भरकर पेश नहीं किये है। जिसके बारे में पुछे जाने पर उनके द्वारा तलवाना सम्मन पेश करने एक और मौका चाहा गया। यद्यपि इन्हें पूर्व में भी मौके दिये जा चुके है तथा न्यायहित में प्रतिपक्षी की तलबी हेतु वादी अभिभाषक को एक अन्तिम अवसर दिया जाता है। आगामी पेशी अथवा उससे पूर्व तक तलवाना सम्मन भरकर न्यायालय में पेश नहीं करने पर पत्रावली स्वतः ही अदम तकमील में खारिज मानी जावेगी। अतः वास्ते तलबी प्रतिपक्षी पत्रावली आगामी पेशी 19/2/20 को पेश हो।	
19/2/20	पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक को नियत पेशी तिथियों पर लगातार निर्देशित करने के बावजूद अभी तक भी तलवाना सम्मन पेश नहीं किये गये हैं। वादी की ओर से पेश प्रकरण की गतिशीलता के लिये प्रतिपक्षी की तलबी होना अत्यन्त आवश्यक है। वादी को लगातार आदेशित करने के बावजूद भी आदिनांक तक तलवाना सम्मन पेश नहीं किये गये हैं। अतः प्रकरण अदम तकमील में खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हों।	

Scanned by CamScanner